212 RTA.

ज्योति बनाम भागीरथ आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06/6/2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 व दादा अप्रार्थी सं. 2 की स्वअर्जित भूमि नहीं है बल्कि प्रार्थीया के पड़दादा नोपाराम के नाम की भूमि थी, जो विरास्तन प्रार्थीया के दादा को प्राप्त हुई व प्रार्थीया के दादा से प्रार्थीया के पिता को प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। लेकिन प्रार्थीया के हक हिस्सा को हड़प करने की नियत से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने उक्त भूमि का बैयनामा अप्रार्थी सं. 4 ता 6 के पक्ष में करवा दिया है जिसका अप्रार्थी सं. 1 को कोई अधिकार हासिल नहीं है। इस कारण उक्त बैयनामा प्रार्थीया के हितो पर निष्प्रभावी है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 मे वर्णित कृषि भूमि गैरसायलान की स्वयं पैदाकरदा कृषि भूमि है। प्रार्थीया का पडदादा की कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है। जब पडदादा की कृषि भूमि में सायला का कोई हक व हिस्सा नही है तो दादा की कृषि भूमि मे सायला के हक व हिस्सा की कृषि भूमि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अनुसार पूर्व मे पुत्रियों/पौत्रियों का कोई हक व हिस्सा नही था तो सायला अपने हिस्सा की हकदार नही है। सायला के पडदादा का सन् 1988 में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद भूमि गैरसायलान संख्या 1 के दर्ज हुई। गैरसायलान संख्या 1 के पिता सुरजाराम ने गैरसायलान संख्या 1 को जरिये दानपत्र कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवायी थी। इस कारण सायला वाद भूमि में 1/7 हिस्सा की किसी भी प्रकार से हकदार नही है। ना ही वाद कृषि भूमि पर सायला का कब्जा काश्त है। वादीया माननीय न्यायालय से वाद भूमि की अपने नाम किसी प्रकार की घोषणा नही करवा सकती। दरख्वास्त सायला काबिले खारिजी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व अप्रार्थीगण के जबाब आदि से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये दानपत्र प्राप्त हुई भूमि है तथा अप्रार्थी सं. 1 ने भूमि आगे अप्रार्थी सं. 6 ता 10 को बैय कर दी है। अब अप्रार्थी सं. 4 ता 6 वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण को अपनी भूमि को रहन बैय करने का अधिकार है क्योंकि वाद भूमि अप्रार्थीग[illegible] भूमि है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, साम्य न्याय का सिद्धान्त व [illegible] सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष [illegible] आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.06.19 18:19:44 IST
Reason: SelfAttested